

प्रेषक,

अरूण प्रकाश,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

अयोध्या, आजमगढ़, अम्बेडकरनगर, बलिया, भदोही, देवरिया, फिरोजाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कुशीनगर, लखनऊ, महाराजगंज, मैनपुरी, पीलीभीत, शामली एवं श्रावस्ती।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: #ApprovedDate# 01/10/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य सरकार द्वारा घोषित विभिन्न आपदाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना सं०-303/1-11-2016-4(जी)/2016, दिनांक 27.06.2016, अधिसूचना दिनांक 02.08.2018 द्वारा बेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी-तूफान, लू-प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना, अधिसूचना सं०-393/1-11-2018-4(जी)/2016, दिनांक 17.10.2018 द्वारा मानव मानव वन्य जीव द्वन्द्व एवं अधिसूचना सं०-387/एक-11-2021-4(जी)/2015, दिनांक 09.06.2021 द्वारा कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूब कर होने वाली मृत्यु तथा सं०-586/एक-11-2022-4(जी)/2015, दिनांक 13.10.2022 द्वारा सांड एवं वनरोज (नीलगाय) के आघात से होने वाली घटनाओं को राज्य आपदा घोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन ₹ 575.00 लाख (₹ 575 करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्र.सं.	जनपद का नाम	आपदा का प्रकार/मद	प्रस्तावित धनराशि (₹ लाख में)
1	2	3	4

1	अयोध्या	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	50.00
2	आजमगढ़	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	50.00
3	अम्बेडकरनगर	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	20.00
4	बलिया	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	50.00
5	भदोही	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	30.00
6	देवरिया	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	20.00
7	फिरोजाबाद	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	20.00
8	कन्नौज	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	30.00
9	कानपुर देहात	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	20.00
10	कुशीनगर	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	60.00
11	लखनऊ	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	30.00
12	महाराजगंज	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	50.00
13	मैनपुरी	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	30.00
14	पीलीभीत	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	50.00
15	शामली	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	15.00
16	श्रावस्ती	राज्य सरकार द्वारा घोषित	50.00

	आपदाएं (09)	
कुल योग		575.00
(रु० पांच करोड पचहत्तर लाख मात्र)		

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेंट (डी.बी.टी.) के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- (2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। जनपद द्वारा टी.आर.-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।
- (3) भारत सरकार के पत्र सं०-33-03/11.07.2023 द्वारा आपदा से प्रभावितों को राहत सहायता वितरित करने के निर्देश एवं मानक 2020-NDM-1 दिनांक दरें निर्धारित की गयी हैं। जनपद उक्त आवंटित धनराशि का वितरण भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गये निर्देशों एवं मानक दरों के आधार पर करेंगे।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (5) आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने से पहले उनकी पात्रता का परीक्षण सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी।
- (6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये, आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि के प्रयोग

/उपभोग/ समर्पण/ वितरण के सम्बन्ध में जारी सुसंगत शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता/ लापरवाही बरती जाती है तो इसके लिए जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2027 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मटी में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ₹० 575 00 लाख (₹० पांच करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) धानू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखाशीर्षक-2245058000609 राज्य सरकार द्वारा घोषित विभिन्न आपदाओं से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पास फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे इस्त्याजित जायेगा।

3- यह आदेश दिनांक (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/टस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तयत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निमित्त किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरुण प्रकाश)

विशेष सचिव।

संख्या-1167(1)/एक-10-2026, दिनांक ।

W

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र० प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, 30प्र०।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, 30प्र०, लखनऊ।

- 4- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प0 शासन।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30प0।
- 7- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, 30प0।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 9- गाई फाइन।

आज्ञा से,

(अरुण प्रकाश)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-01/10/2026

- प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-
- 1167
001-1167
51 राजस्व विभाग (देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय (राज्यांश)
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	वर्तमान प्रणामी	42-अन्य व्यय	योग
1	मैनपुरी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	3000000 15300000	3000000 15300000
2	पीलीभीत-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	5000000 36510000	5000000 36510000
3	बलिया-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	5000000 40612000	5000000 40612000
4	आजमगढ़-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	5000000 42303000	5000000 42303000
5	देवरिया-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	2000000 30232000	2000000 30232000
6	लखनऊ कलेक्टर -4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	3000000 26498000	3000000 26498000
7	अयोध्या-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	5000000 41822000	5000000 41822000
8	कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	2000000 41258000	2000000 41258000
9	फिरोजाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	2000000 20769000	2000000 20769000
10	महाराजगंज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	5000000 29018000	5000000 29018000
11	भदोही-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	3000000 18414000	3000000 18414000
12	कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	6000000 38704000	6000000 38704000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
13	अम्बेडकर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	2000000 34964000	2000000 34964000
14	कन्नौज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	3000000 14389000	3000000 14389000
15	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	5000000 22616000	5000000 22616000
16	शामली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	1500000 4434000	1500000 4434000
	योग	वर्तमान प्रणामी	57500000 457843000	57500000 457843000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रणामी आवंटन):-

रूपया पाँच करोड़ पचहत्तर लाख
रूपया पैतालीस करोड़ अठहत्तर लाख तियालीस हजार

(अरविन्द कुमार सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी